

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज संस्थान, बाड़मेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - भोरा राम, बसुंधार पुरा बाड़मेर
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व गेल आई.डी. - 9549651121
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - निर्मिति प्रकल्प के अंतर्गत 7568184712
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 392947244 5 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) -
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) - प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण में आवंटित भूमि का विवरण - Nil
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र - संलग्न
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन - संलग्न
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट - संलग्न
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। - संलग्न
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) - संलग्न
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। - संलग्न D.D.N. 252452 दिनांक 19/3/18 बैंक ऑफ़ बाड़मेर

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान : बाड़मेर

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अध्यक्ष

गुर्जरगौड़ ब्राह्मण समाज संस्थान
बाड़मेर

22/11/23
04/09/23

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - **आखिल भारतीय संघसमल भाद्र समाज संघ, वाडमेर**
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) **विरुध**
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - **9079752531**
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - **सामुदायिक एवं शैक्षणिक प्रोजेक्ट**
5. चाहे यदि क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) **5 बीघा**
7. प्रोजेक्ट/प्रकार का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को देने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) **ललन**
8. संस्थान/संगठन सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न दिने आने वाले दस्तावेज
 - i. संस्था/संगठन प्रमाण पत्र
 - ii. संपत्ति/रेगुलेशन
 - iii. पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. ₹ 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो संलग्न शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व अन्य शर्तों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन वापस शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को भूमि में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

वाडमेर जिला-अध्यक्ष
- विरुध

दिनांक :

स्थान : **वाडमेर**

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

9079752531

राजस्थान के नगरपालिका में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

9784812523
जिला मंत्री

21/11/23
04/09/23

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम भारतीय ग्राम्य आलोकानन्द ट्रस्ट, बाम्नेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) राम सिंह
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. दरुआ मजि, गेहूं रोड बाम्नेर 8000953891
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य W.S. कालिका छात्रावास
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 10 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - NIL
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 01-09-23

स्थान : Bamer

नाम व पद

R. Singh
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

भारतीय ग्राम्य आलोकानन्द ट्रस्ट
बाम्नेर

2/11/2023
04/09/23

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम रोवानी स्नेहान (मुहल्ले समान)
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - सैन्टरी पिपु बांन
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - तिलकुनगर नवतारा चम्पली के पास जैसलमेर रोड
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - शैक्षणिक संस्थान (9414384168)
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) ललमन
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण सलमन
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। ललमन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 11/09/2023

स्थान : बाइपे

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

20/09/23
04/09/23

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री आदि गौड़ सामाजिक संस्थान, वडोदरा
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) श्रीराम शर्मा
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. 9587180141
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य सामुदायिक एवं शैक्षणिक प्रयोजन हेतु जिला पंचायत के
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 5 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र — संलग्न
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन — " "
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट — संलग्न
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) — " "
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 02/09/2023

स्थान : वडोदरा

नाम व पद

सचिव
आदि गौड़ सामाजिक संस्थान
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

21/2/23
04/09/23

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री मावर प्रजापत समाज संस्थान, बाइमैर (रज.)
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) रावता राम प्रजापत व मूला राम प्रजापत
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. बलदेव नगर काइमैर 9414754932
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य छजावास 9571544167
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) पांच बीघा (5)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5000 वर्गमीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान :

नाम व पद

21/2/23
मावर प्रजापत समाज संस्थान
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रपत्र -अ

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - **जाटा मेढवाल समाज विकास एवं शिक्षण संस्थान**
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - **श्री. रा. राम साहेलिया**
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - **बलदेव नगर, बाझेर, 9784097603**
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - **छात्रावास**
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - **05 (पांच) बीघा**
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) - **6689.016 वर्ग मीटर**
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - **नहीं**
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन - **सल. 1**
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट - **सल. 1**
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) - **सल. 1**
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :
स्थान : **बाझेर**

जाटा मेढवाल समाज विकास संस्थान
बाझेर (राज.) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जिलाध्यक्ष
जाटा मेढवाल समाज विकास
संस्थान, बाझेर

नाम व-पद

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

35

नोट:- इस कार्यालय में भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पत्र व्यवहार करें।

संलग्न:- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं संघ विधान एवं नियन्त्रण प्रतिलिपि

जिलाध्यक्ष
जाटा मेढवाल समाज विकास
बाझेर

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम राजधानी ब्राह्मण महासभा, जिलाई आई वामरे
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) पारस राम शर्मा
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रयोजन
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) संलग्न
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण संलग्न
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न
 - ii. बार्डलॉज/रेग्युलेशन संलग्न
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। संलग्न
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान : राजधानी

नाम व पद

Pune
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - श्री जिन कुशल सूरी सेवास्रम ट्रस्ट
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - बाबुलाल बोहरा
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - कुशल वरिष्ठा, वाडगेर, 9414105874
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - छात्रावास
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) पांच बीघा (5)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5000 वर्ग मीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसापी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान : वाडगेर

नाम व पद

SHREE JINKUSHAL SURI SEVASHRAM TRUST

Chairman अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Secretary

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री जटिया (रैंजर) देवा समिति, वाडमरे
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) जोरावन दास
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य स्नातुदपिडु एवं शीक्षिणु प्रेमोपन
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलन्स शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। सलमन
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। सलमन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 01/08/2015
स्थान : वाडमरे

नाम व पद

जोरावन दास
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम *मीन मन्दा रेगुलेशन व स्केप मन्दा*
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) *इरम मीन मन्दा वीरम डेब मीन*
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. *रुद्रि टाउन वेजान वास*
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य *छात्रावास हेतु*
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) *5 बीघा*
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण *नहीं*
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र *लगा है*
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन *लगा है*
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट *-*
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। *-*
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो *लगा है*
सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। *89/25/18*

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : *21.5.18*
स्थान : *25.5.2018*
नाम व पद

[Signature]
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वीरम डेब मीन
9828828023

अप्रि 21/12/24
27/12/24

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम जांगिड़ पंचायत बाड़मेर.
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) देवाराम,
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. 9413290607
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य घात्राखा के अधगमन हेतु छात्रावास तथा शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 5 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5 बीघा (8090 वर्ग मीटर)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) संलग्न अनुसार
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - NIL
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - ✓ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ✓ बाईलॉज/रेग्युलेशन संलग्न
 - ✓ गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट संलग्न
 - ✓ संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिखा गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - ✓ प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - ✓ रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 25/12/2024

स्थान : बाड़मेर

नाम व पद देवाराम

अध्यक्ष, जांगिड़ पंचायत बाड़मेर.

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

देवाराम
अध्यक्ष
जांगिड़ समाज बाड़मेर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

भूमिशास्त्र

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

26/4/18

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम मारु सैन समाज छात्रावास काउमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) हनुमानराय सैन
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. 9660086262
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य छात्रावासों के अध्ययन हेतु छात्रावास
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 3 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 3 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सलज्ज
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन —, —, —
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट —, —, —
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। —, —, —
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) —, —, —
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। —, —, —

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 17/04/18

स्थान : काउमेर

नाम व पद हनुमानराय

अध्यक्ष - मारु सैन समाज छात्रावास काउमेर

अध्यक्ष
मारु सैन समाज छात्रावास मालाणी,
काउमेर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

35

मू.प.शा.११

31/1/18

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - गोस्वामी पंचायत सेवा समिति ग्रामीण, बाड़मेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - खेतगिरी उर्फ रूपनाथ (जिसे)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - 9413789398
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - हमोंके अध्ययन हेतु छात्रावास
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 4 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) - 4 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - नहीं है.
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र - 12/1/18 ६६
 - ii. वाईलॉज/रेग्युलेशन - 6/1/18 ६६
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट - 6/1/18 ६६
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। 6/1/18 ६६

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान : बाड़मेर

नाम व पद

श्री खेतगिरी उर्फ रूपनाथ जिसे

अध्यक्ष - श्री गोस्वामी पंचायत, बाड़मेर शहर

खेतगिरी

अध्यक्ष गोस्वामी

गोस्वामी पंचायत सेवा समिति

(ग्रामीण) बाड़मेर

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

35

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक / चेरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को
रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्ड की चौक लिरट
(विभागीय पत्र क्रमांक प. 3(55)नवि/3/2002 जयपुर
दिनांक 19.04.2011 को जारी नीति के सन्दर्भन)

"प्रपत्र अ"
5

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार विकास समिति वडमेर

क्र.सं.		
1	आवेदक का नाम/पता	
2	शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	
3	चाही गयी भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम कॉलोनी का नाम, खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
4	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	24 फरवरी 2000
5.1	संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा-जोखा	2010-11
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	2010-11
6.1	चाही भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	2010-11

पार्ट (ब)

6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	सर्व समाज हितार्थ
6.3	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नॉर्मस	निष्पत्तु सार.
7	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन का दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं.
8	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	निष्पत्तु सार
9	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवाई गई।	
10	चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
11	चाही गई अविकसित भूमि के लिए कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर	
12	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख सम्बन्धी विवरण	
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा है तो उसका विवरण	
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वितीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
14	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	2010-11 आवंटन विवरण 25
15	आवेदक संस्था को 30 प्रतिशत दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं क्यों के सम्बन्ध में विवरण	
16	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
17	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
18	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा सीगिन आदेश प्रभावी है	
19	अन्य विवरण	

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार विकास समिति

वाडमेर

कोषाध्यक्ष महामंत्री

दिनांक 19.04.2011 को जारी नीति के अन्तर्गत)

(प्रपत्र अ)

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

2014/2/16

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री कुभावत सेवा संस्थान लाडमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) वीरमल रघुपत
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य वास्तुनिर्माण एवं शैक्षणिक प्रयोजनाय
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 2 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) संलग्न
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न
ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान :

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम : मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान बाड़मेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) : डॉ० राहुल कुमार बम्बानिया
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी : - मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान बाड़मेर, रिको एरिया तहसील व जिला- बाड़मेर मो० 9414531658
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य :-
 - I. मेघवाल समाज के बालक एवं बालिकाएँ के छात्रावास एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ,
 - II. मेघवाल समाज के अकुशल कामगारों एवं विभिन्न व्यवसायों में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना,
 - III. मेघवाल समाज की महिलाओं के शैक्षिक विकास एवं शसक्तिकरण हेतु महिला केन्द्र की स्थापना,
 - IV. छात्र-छात्राओं हेतु सार्वजनिक वाचनालय एवं कोचिंग केन्द्र की स्थापना एवं संचालन,
 - V. समाज के वृद्धजनों के आश्रय स्थल का संचालन,
 - VI. समाज की सामाजिक गतिविधियों के आयोजन हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण
 - VII. समाज की खेल प्रतिभाओं को तरासने हेतु खेल एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर खेल गतिविधियों का संचालन करना
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) :- पटवार हल्का बाड़मेर मौजा बाड़मेर आगोर के खसरा संख्या 1820 रकबा 16.4788 है. में से 1.6187 हैं. (16187.4 वर्गमीटर)
भूमि
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) :- 16187.4 वर्गमीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण

डॉ. राहुल बम्बानिया
अध्यक्ष
मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान
बाड़मेर (राज.)

डॉ. राहुल बम्बानिया
अध्यक्ष
शैक्षणिक एवं शोध संस्थान

मेघवाल समाज द्वारा 16187.4 वर्गमीटर के 515
वर्गमीटर छात्रावास के कक्षा छात्रावास हेतु प्रस्ताव

चेरिटेबल, सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसाइटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - पुष्करणा ब्राह्मण समाज संस्थान, बाड़मेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - श्री श्रवण छांगाणी, अध्यक्ष
3. डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. व मेल आईडी -
पुष्करणा ब्राह्मण मन्दिर के पास, पुष्करणा भवन, बेरियों का वास, बाड़मेर, मोबाईल नं. 9414383964, ईमेल maheshdadani@gmail.com
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थान भवन बाबत।
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 2 से 5 बीघा तक
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) - न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) -
 - 1) अनुमानित निवेश - 50 लाख
 - 2) निर्मित क्षेत्र न्यूनतम - 2000 से 3000 वर्ग मीटर
 - 3) समाज के बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में उन्नति
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - शून्य
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज -
 - 1) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
 - 2) बाईलॉज/रेग्युलेशनस।
 - 3) गत तीन वर्षों की बैलेंस शीट।
 - 4) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - 5) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गयी भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - 6) रुपये 5000/- चैक सं. 050503 दिनांक 27.09.2023 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा - बाड़मेर। सचिव नगर विकास न्यास, बाड़मेर के नाम।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उपविधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर शहरी निकाय आवंटन निरस्त करने, भवन भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक - 27.09.2023

स्थान - बाड़मेर

(श्रवण छांगाणी)

पुष्करणा ब्राह्मण समाज, बाड़मेर

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम — श्री स्वतंत्र राजपुरोहित विद्यामठ
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - मोहन सिंह
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - खेतेश्वर नगर, बाड़मेर
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - सामुदायिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 5 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) -
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) सलंगन
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - N/A
9. सलंगन किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सलंगन
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन " "
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट " "
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) " "
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 28.05.22

स्थान : खेतेश्वर

नाम व पद मोहन सिंह
अध्यक्ष

मोहन सिंह
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
श्री स्वतंत्र राजपुरोहित विद्यामठ
ट्रांजिस्ट होस्टल के पास, बाड़मेर

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री राजपूत समाज सेवा समिति बाझौर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) शुभांग सिंह
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. श्री राजपूत छात्रावास जैसलमेर रोड
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य समुदाय के विकास के लिए 9922149 623
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 5 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण NIL
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रैग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 26/9/2023

स्थान : बाझौर

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सचिव

श्री राजपूत समाज सेवा समिति

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्रीमाली संस्था वाइमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) नरेन्द्र कुमार देव
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - 9460669142
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 2-बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) - सामु. कार्यो हेतु
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - नही
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र - संलग्न
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट संलग्न
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। - संलग्न
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। - संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 26/09/2023

स्थान : वाइमेर

नाम व पद

नरेन्द्र कुमार देव

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अध्यक्ष

श्रीमाली संस्था वाइमेर

वाइमेर

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - श्री देवल मां चारण समाज सेवा संस्थान, बाड़मेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - तेजदान चारण (अध्यक्ष)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - इन्दिरा नगर, बाड़मेर m-7727098035
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य email - shsidedwalmasansthanbasmer@gmail.com
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) -
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) -
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) -
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - शुन्य -
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 24-9-2023

स्थान : बाड़मेर

नाम व पद - अध्यक्ष श्री देवल मां चारण समाज सेवा संस्थान
(तेजदान चारण) बाड़मेर (राज.)

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

35

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

जीनगर समाज उत्थान समिति वाइस प्रेसिडेंट
गिरधारी लाल
AC-3 जीनगर (मोहल) महानगर वाइस प्रेसिडेंट
9461217800
जीनगर समाज के छात्रावास है
1500 वर्गमीटर

यहाँ में किसी प्रकार की भूमि आवंटन नहीं है।

26/वाइस प्रेसिडेंट/245-16

संलग्न है।

संलग्न पेपर संख्या
006505 डि० 29-4-23
र० 5000/-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक: 29.9.2023

स्थान: जीनगर

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

गिरधारी लाल
अध्यक्ष

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

35

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान वाइमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - श्री बलवंत सिंह चौधरी 9413005838
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य → छात्रावास व शैक्षणिक प्रयोजन
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - सर्व किसान कल्याण छात्रावास
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) - 2000 वर्ग मी
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) -
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण -
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र - ✓
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन - ✓
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट - ✓
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो - सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : वाइमेर
स्थान : 27/9/23

नाम व पद बलवंत सिंह चौधरी
आवेदक

5 सचिव
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(वाइमेर)
27/9/23
9413005838

6 अध्यक्ष
श्री किसान बोर्डिंग हाउस
संस्थान, वाइमेर (राज.)

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - भुव पारीक सोसायटी, बडौर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - मनीज पारीक
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - 9414337523
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - आवासीय इलाका
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 5 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिकाधिकारी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 29/09/23

स्थान : बडौर

नाम व पद - मनीज पारीक
(अध्यक्ष)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम *श्री ६११११ स्वर्णकार समाज वा.फ़ोर*
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) *धनराज*
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. *मुगावली वा.फ़ोर 9460464377*
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य *शिर्डी लेस्यन भूमि आवंटन हेतु*
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) *5 बीघा*
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) *लल्लेगन*
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण *नहीं*
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र *लल्लेगन*
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन *लल्लेगन*
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट *लल्लेगन*
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत *लल्लेगन* हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। *लल्लेगन*
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) *लल्लेगन*
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। *लल्लेगन*

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 20/9/2023

स्थान : *का.स. ५१*

नाम व पद *श्री ६११११*

का.स. ५१

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु
प्रार्थना पत्र

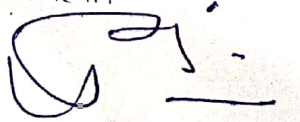
1.	संस्था / संगठन का नाम	श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ओसवाल श्रीसंघ, बाड़मेर
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	अमृतलाल जैन
3.	डाक पता, टेलिफोन नं, मोबाईल नं व मेल आई.डी.	जैन न्याति नोहरा, बाड़मेर 9414106067, vakil.amritujain@gmail.com
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	जैन शिक्षण संकुल (पुस्तकालय- वाचनालय, ई-लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेन्टर) एवं सामुदायिक भवन हेतु
5.	वाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	बाड़मेर शहर में 5 बीघा (पांच बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	10000 वर्गमीटर लगभग
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)	जैन प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिये कोचिंग सेन्टर पुस्तकालय- वाचनालय, सामुदायिक भवन एवं योग केन्द्र जिससे जैन समाज के युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सकेगा इस परियोजना पर लगभग 1.00 करोड रु. खर्च होंगे।
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	K.No.3992/1589 - 07.10 बीघा Vider Order by Distt. Collector. Barmer F.12(3(132) Rev/2011/5711 Dt. 19.7.2011
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	1. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र - संलग्न	
	2. बाईलॉज / रेग्युलेशन - संलग्न	
	3. तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेंस शीट - संलग्न	
	4. संस्थान का भूमि आवंटन के लिये लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करने, उसका उल्लेख हो। - संलग्न	
	5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बगने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) - संलग्न	
	6. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी. / पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव / अधिशाषी अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। - चैक सं. 110488 दिनांक 17.09.2023 दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., लक्ष्मी बाजार, बाड़मेर	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएँ मेरी जानकारी व विश्वास
के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता
आवंटन की शर्तों / निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना
करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body)
आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :-18.09.2023

स्थान :- बाड़मेर

नाम व पद - अमृतलाल जैन
अध्यक्ष



अध्यक्ष

श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ओसवाल श्री संघ
बाड़मेर (राज.)

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम महात्मा ज्योति बा फूले शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) शतामल उद्यम
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. उत्तरवाड़ी रोड, व्याडि.मैर (राज.)
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य शैक्षणिक एवं सामुदायिक विकास
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 10-20 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) 21 बीघा
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण 21 बीघा
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 21 बीघा
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन 21 बीघा
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट 21 बीघा
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। 21 बीघा
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) 21 बीघा
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिकाधिकारी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। 21 बीघा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 21/01/2023

स्थान : 21/01/23

नाम व पद 21/01/23

अध्यक्ष

महात्मा ज्योति बा फूले शिक्षा

एवं अनुसंधान संस्थान

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम राजस्थान मिरासी समाज सुधार समिति, बाड़मेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - वरन्त खोन
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - 8104324053
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - सामुदायिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) -
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 03 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज - समाप्त दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसापी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 03/10/23

स्थान : बाड़मेर

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
राजस्थान मिरासी समाज सुधार समिति
बाड़मेर

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम - श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज संस्थान, बाडमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) - अशोक कुमार
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - श्री पीपाजी मन्दिर के पास बर्ड नं. 53 बाडमेर 9414756006
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - बालिष्ठ छात्रावास
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 3 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 3000
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) सामुदायिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज -
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 01-10-2023

स्थान : बाडमेर

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अध्यक्ष

श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज संस्थान
बाडमेर (राज.)

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम मुस्लिम इन्तेजामिया संस्था (कमेटी) शहर बाइमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) मौलाना मजहर कुरैशी - अध्यक्ष
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व भेल आई.डी. मुस्लिम मुसाफिर खाना माल गोदाम
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - नि. 9950962595 शीट, तेलिफोन का मोबाइल नम्बर
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - एकड़ - 2764/1931 इलाह के पास सड़क
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5 बीघा सरकारी शरीफ खानी पड़ी है।
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण -
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ✓
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट ✓
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। ✓
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) - संस्था का स्वयं चित्रण संस्थान
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। ✓

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/अवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 29/9/2023

स्थान : बाइमेर

नाम व पद मौलाना मजहर कुरैशी - अध्यक्ष

कार्यालय - मुस्लिम मुसाफिर खाना, रेजिस्ट्रार माल गोदाम रोड - 2 बाइमेर

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

29/9/2023
(मौलाना मजहर कुरैशी)
अध्यक्ष

मुस्लिम इन्तेजामिया कमेटी (संस्था)
कार्यालय मुस्लिम मुसाफिर खाना
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
माल गोदाम रोड शहर बाइमेर-344001
9950962595

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री श्री समाज सेवा संस्थान
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) श्रीमकराणी खींची
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. डांगल स्कूल के पास, हमीरपुरा बाड़मेर
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए छात्रावास
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। संलग्न है

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 3rd Oct. 2023

स्थान : बाड़मेर

नाम व पद श्रीमकराणी खींची, अध्यक्ष

Xarom
अध्यक्ष
सचिव
कोषाध्यक्ष
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
संस्था समाज सेवा संस्थान बाड़मेर (राज.)

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम दादी समाज विकास संस्थान, बाइमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) सुखदेव मास्त्रिया (अध्यक्ष दा.स.वि.संस्थान)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. - 9461129583
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनाय
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - 5 बीघा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) -
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र - संलग्न
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन - संलग्न
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट - संलग्न
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। 011428 (धूमियन बैंक)

दिनांक : 03/10/2023

स्थान : बाइमेर

नाम व पद

सुखदेव मास्त्रिया (अध्यक्ष दादी समाज विकास संस्थान)

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री मोहेश्वरी पंचायत समिति वाउमेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) ओम प्रकाश मेहरा
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उपयोग
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 5 बीघा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) संलग्न
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन संलग्न
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट संलग्न
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। संलग्न
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :
स्थान : वाउमेर

ओम प्रकाश मेहरा
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद